Serial No. 5510 Circle : Phulwari Sharif

Heritage

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

बिहार BIHAR

A 472008

Serial No. 5510

Deed No. 4910

Govt. of Bihar
District Registry Office ,Patna
Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 01/06/2015 by Shambhu Nath Singh

A Stamp Duty of Rs. 543840/- and other Fees of Rs. 25525/- has been paid in it.

The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as Deed No. 4910 in Book No. 1, Volume No. 118 on pages from 237 to 256 and has been preserved in total 20 pages in C.D. No. 18 / Year 2015

Signature with Date
(Switi Suman)
Registering Officer, Patna

Date: 01/06/2015 Token No: 5609 /2015

विकास एकरारनामा

यह विकास एकरारनामा विलेख आज दिनांक 1st माह जून सन् 2015 ई० को निम्नलिखित पक्षों के बीच निष्पादित हुआ।

ASHIRWAD ENGICON PVT. LTD.

Managing Director

		Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little

Deed Number 4910

Sig. — Ajay Singh

अजय सिंह
1-6-15

Executant

Sig. — Avinash Kumar

Avinash Kumar
1-6-15

Executant

Sig. — Rohit Kumar

Rohit Sinha
1-6-15

Presented By

Sig. — Shambhu Nath Singh

शम्भू नाथ सिंह
१-६-१५

Executant

Sig. — Shambhu Nath Singh

शम्भू नाथ सिंह
१-६-१५

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Identified By

Sig. — Rahul Kumar

Rahul Kumar
1/6/15

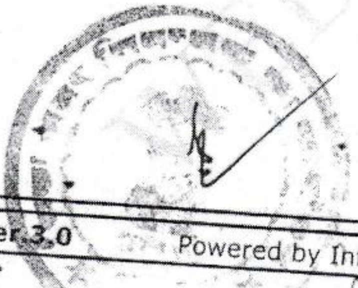

Ver.3.0 Powered by InfoSystem and Solutions,Patna

Biometric Captured By 2800sop001

शम्भू नाथ सिंह
१-६-१५

1. **श्री शम्भु नाथ सिंह,** पुत्र रामदास सिंह,

2. **श्री रोहित कुमार,**

3. **श्री अविनाश कुमार,**

दोनो के पिता का नाम श्री शंभु नाथ सिंह।

सभी निवासी ग्राम - दशरथा, पुराना पुलिस थाना - फुलवारी, वर्त्तमान पुलिस थाना - बेउर, जिला - पटना, बिहार, भारतीय नागरिक। जिन्हे आगे **जमीन मालिकगण/भूखंड स्वामीगण** के नाम से सम्बोधित किया गया है। (जो शब्दावली प्रसंग के प्रतिकूल होने अथवा हटाये जाने की स्थिति को छोड़कर उनके उत्तराधिकारीगण, निष्पादकगण, प्रशासकगण, हितबद्धगण उत्तराधिकारीगण को सम्मिलत होगें) जिन्हे इसमें प्रथम पक्ष कहा गया है।

<u>एवं</u>

मेसर्स आर्शीवाद इंजीकॉन प्रा0 लि0, जो भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है जिसका कार्यालय - उत्तरी श्रीकृष्णापुरी, थाना - श्रीकृष्णापुरी, जिला पटना, (बिहार) द्वारा निदेशक **श्री अजय सिंह,** पिता का नाम - स्वर्गीय जगनारायण सिंह, निवासी - महल्ला - रामकृष्णा नगर, थाना - रामकृष्णा नगर, जिला - पटना, बिहार भारतीय नागरिक, बिहार, जिन्हें यहाँ पर "**विकासकर्त्ता/भवन बनावटकर्त्ता**" कहा गया है, जिनके प्रशासक, कानूनी प्रतिनिधि, समुदेशनी और/या हित उत्तराधिकारी भी सम्मलित रहेगें, जो द्वितीय पक्षकार है।

1. विदित हो कि इस विकास एकरारनामा के अनुसूची - 1 में वर्णित भू-सम्पत्ति खाता नं0 - 146, खेसरा नं0 - 11, थाना नं0 - 111, मौजा - शेखोपुर उर्फ शेखपुरा सर्वे थाना - फुलवारी, परगना - अजीमाबाद, जिला - पटना जमीन मालिकगण के खानदानी वो मौरूषी है जो सर्वे खतियान में जमीन मालिकगण के पूर्वज रामजीवन महतो, वल्द हरिहर महतो, कॉम कुर्मी, साकिन दशरथा, किस्म - चकासो दर्ज है। जिसे जमीन मालिक सं0 - 1 ने टाईटील पार्टिशन मुकदमा नं0 - 350 सन् 1970 ई0 भृगनाथ सिंह - वादी बनाम् रामदास सिंह वगैरह (प्रतिवादीगण) व अदालत

ASHIRWAD ENGICON PVT. LTD.
Managing Director

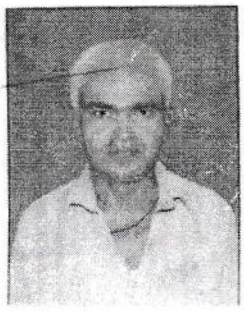

सबजज - 2, बहादुर पटना में वादी एवं प्रतिवादीयों के बीच सुलहनामा दिनांक 29.08.1970 ई0 न्यायलय द्वारा सुलहनामा के आधार पर दिये गये फैसला और फाईनल डिक्री के जमीमा नं0 - 3 के रूप में प्राप्त किया। जिसपर जमीन मालिकगण दखल कब्जे में होकर वो रहकर पूर्ण मालिकगण, स्वत्वाधिकारीगण, सर्वाधिकारीगण और दखलकार के रूप में संयुक्त रूप से उपयोग और उपभोग चले आते हैं और है और जमीन मालिक संख्या - 1 अपने नाम को बिहार सरकार अंचल फुलवारी (पटना) में दाखिल खारिज कराकर राजस्व रसीद जमाबन्दी नं0 - 203, पर सलाना मालगुजारी देते हुए कटाते चले आते हैं। इस तरह जमीन मालिकगण का इस विकास एकरारनामा को अनुसूची - 1 में वर्णित भू-सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार, सम्प्रभुता और दखल कब्जा स्थापित है।

4. यह कि भूखंड स्वामीगण की आंतरिक इच्छा है कि उपर वर्णित अपने भूखंड का रचनात्मक विकास के रूप में एक आवासीय बहुमंजिला भवन एवं उसपर आधुनिक तकनिक से फ्लैटों एवं कार पार्किंग का निर्माण करवाने हेतु द्वितीय पक्ष विकासकर्त्ता के पास संपर्क किये और उनके साथ अपने उपर्युक्त भूखंड पर बहुमंजिला आवासीय भवन के निर्माण करने की बात-चीत भवन के कुल बनावट का पचास प्रतिशत जमीन मालिकगण के हिस्से में और भवन के कुल बनावट का पचास प्रतिशत विकासकर्त्ता के हिस्से में के शर्त्तों पर सहमति देते हुए उनके साथ विकास एकरारनामा उक्त पक्षों के बीच निष्पादन सहमति एवं निर्धारित शर्तों पर पूर्ण मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थता के हालत में अपने सभी तरह के नफा-नुकसान सोंच-समझकर बिना किसी के जोर-दवाब के किये हैं। बहुमंजिला आवासीय भवन में जो भी बनावट होगा, उसमें फ्लैटों और कार पार्किंग स्पेशों के रूप में बनावट रहेगा।

ASHIRWAD ENGICON PVT. LTD.
1-6-15
Managing Director

WEB COPY NOT OFFICIAL

5. यह कि विकासकर्त्ता अनुसूचि - 1 में वर्णित भूखंड पर लिये गये निर्णय के अनुसार फ्लैटों का निर्माण करने के लिए सहमत हैं। इस निर्माण कार्य में जो भी खर्च होगा उस खर्च को विकासकर्त्ता हीं पूर्णतः वहन करेगें।

6. यह कि एकरारनामा के होते हीं विकासकर्त्ता भूखंड स्वामीगण के अनुमति से उक्त जमीन के विकास के लिए अविलम्ब हीं भूकम्प रोधी नक्शा बनायेंगे, जिसमें की दोनों पक्षों को अधिक से अधिक लाभ हो सके।

7. यह कि विकासकर्त्ता द्वारा अच्छे आर्टिटेक से बनाए गए नक्शा को जमीन मालिकगण को दिखलाकर विकासकर्त्ता अपने संयुक्त हस्ताक्षर से उपर्युक्त भूकम्प रोधी नक्शा पटना नगर निगम से अनुमति लेने के लिए बिहार अपार्टमेन्ट अधिनियम 2006 ई0 के अन्तर्गत वर्तमान भवन निर्माण नियमावली के प्रावधानों एवं नियमावली के अन्तर्गत जमा एवं दाखिल करेगें। इसके अलावे जिस-जिस कागजातों, शपथ पत्रों और फार्मो पर हस्ताक्षर करने की जरूरत होगी, उसपर विकासकर्त्ता हस्ताक्षर करेगें और आवश्यकता अनुसार प्राधिकार में नक्शा स्वीकृति हेतु एवं अन्य कार्यों हेतु दाखिल एवं जमा करेगें। इसमें जमीन मालिकगण को कोई एतराज नहीं है और न होगा। नक्शा स्वीकृति में जो भी खर्च आयेगा या होगा उसे विकासकर्त्ता/द्वितीय पक्ष वहन करेंगे।

8. यह कि उपरोक्त भूखंड पर निर्मित बहुमंजिला आवासीय भवन का नाम **'आर्शीवाद हेरिटेज एण्ड राम दास इनक्लेभ'** दोनों पक्षों के सहमति से रखा गया।

9. यह कि विकासकर्त्ता और जमीन मालिकगण फ्लैटों एवं कार पार्किंग का बंटवारा दोनों पक्षों के कुल बनावट के हिस्से में क्रमशः 50 प्रतिशत और 50 प्रतिशत के अनुरूप फ्लैटों एवं कार पार्किगों के सहित भवन में स्थित भूमि में अविभाजित हिस्सा भी समिलित रहेगा या होगा। इसके बाद हीं दोनों पक्षों को अपने-अपने हिस्से के फ्लैटों एवं कार पार्किंग स्पेशों के

ASHIRWAD ENGICON PVT. LTD.
Managing Director

WEB COPY NOT OFFICIAL

साथ साथ जमीन में अविभाजित अनुपातिक हिस्सा का विभाजन लिखित रूप से कर लेगें।

10. यह कि विकासकर्त्ता/द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य पूरा करने के पश्चात् कुल परम निर्मित क्षेत्र का 50 प्रतिशत भूखंड स्वामीगण/प्रथम पक्ष को पूर्ण रूप से विकसित कर हर सुविधा के साथ सौंपेगें तथा शेष 50 प्रतिशत क्षेत्रफल विकासकर्त्ता/द्वितीय पक्ष के संयुक्त हिस्सें में का होगा।

11. यह कि विकासकर्त्ता/द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य पूरा करने के पश्चात् कुल परम निर्मित एरिया का 50 प्रतिशत भूखंड स्वामीगण प्रथम पक्ष को पूर्ण रूप से विकसित कर हर सुविधा के साथ सभी मंज़िलों पर सौपेंगें तथा शेष परम निर्मित क्षेत्र विकासकर्त्ता/द्वितीय पक्ष का सभी मंजिलों पर हिस्सा होगा।

12. यह कि जमीन मालिकगण द्वारा विकासकर्त्ता को नक्शा स्वीकृत होने और भूखण्ड खाली कर दखल कब्जा देने के दिन से 3 वर्ष 6 माह तक भवन निर्माण कार्य पूरा करगें, अगर 3 वर्ष 6 माह में विकासकर्त्ता भवन का निर्माण किसी प्रकार के प्राकृतिक विपदा, भवन निर्माण सामग्री को समय पर उपलब्धता नहीं होने या सरकारी व्यवधान या नियम के कारण पूर्ण नहीं हो पाया तो भवन निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतू 6 माह अतिरिक्त समय में विकासकर्त्ता निर्माण कार्य अवश्य पूरा कर देगें तथा प्राकृतिक आपदा के कारण भवन निर्माण कार्य पूरा करने में व्यवधान हो जाता है या हो जाएगा तो भवन निर्माण कार्य पूरा करने की समय सीमा जमीन मालिकगण एवं विकासकर्त्ता के आपसी सहमति से बढ़ाई जाएगी।

13. यह कि भविष्य में यह बहुमंजिली भवन बनने के बाद अगर पटना नगर निगम से पूर्व में बने बहुमंजिला भवन से उपर निर्माण करने की स्वीकृति मिलती है तब इसमें भी दोनों पक्ष को उसी प्रकार हिस्सा होगा

ASHIRWAD ENGICON PVT. LTD.
1-6-15
Managing Director

WEB COPY NOT OFFICIAL

जिसका भी पूर्ण खर्च निर्माण में जो होगा उसका वहन द्वितीय पक्ष विकासकर्त्ता करेंगे।

14. यह कि प्रथम पक्ष/जमीन मालिकगण तथा इनके उत्तराधिकारीगण निर्माण कार्य की अवधि में निर्माण कार्य का निरीक्षण दिन में किसी भी समय में कर सकते हैं।

15. यह कि इस एकरारनामा के तहत उभय पक्ष एक दूसरे को यह भी विश्वास दिलातें हैं कि प्रस्तावित योजना प्रारूप के अनुसार कुल परम निर्मित क्षेत्रों में प्रस्तावित सुविधाओं के साथ छत, सीढ़ी, लिफ्ट, बालकोनी, एमनिटीज के साथ निर्मित फ्लैटों एवं कार पार्किंग का उपयोग एवं उपभोग उनके क्रमशः आवंटित हिस्सों पर स्वयं अथवा उत्तराधिकारीगण स्वतंत्र रूप से करेगें।

16. यह कि निर्माण के मार्ग में विकासकर्त्ता के द्वारा कार्य सम्पादन हेतु सभी तरह के कानूनी प्रक्रिया को अपने स्तर से पूर्ण करने का अधिकार होगा। जिससे कि प्रस्तावित योजना का कार्यान्वियन पूर्ण हो सके। निर्माण कार्य में लागत पूँजी का कुल समावेश विकासकर्त्ता/द्वितीय पक्ष संयुक्त रूप से अपने-अपने स्तरों से करेंगें या पूँजी मुहैया करने हेतु विकासकर्त्ता/द्वितीय पक्ष अपने संयुक्त 50 प्रतिशत हिस्से को आवटंनकर्त्ता एवं खरीदार या खरीदारगण से प्राप्त करेगें तथा आवटंनकर्त्ता एवं खरीदार या खरीदारगण को फ्लैट खरीदने एवं उपलब्ध कराने हेतू किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था से आर्थिक ऋण लेने हेतू बुकिंग कार्य/आर्थिक ऋण उगाही कराने में मदद कर रकम प्राप्त करेगें या विकासकर्त्ता के आवंटितो एवं खरीदार एवं खरीदारों द्वारा विकासकर्त्ता के 50 प्रतिशत हिस्से के फ्लैटों एवं कार पार्किंगों के उपर खुद ऋण प्राप्त कर विकासकर्त्ता को भुगतान कर देगें। इस तरह विकासकर्त्ता को जो भी रकम अपने हिस्से के फ्लैटों एवं कार पार्किंगो में अपने आवंटियों या खरीदार एवं खरीदारों से स्वयं भुगतान

ASHIRWAD ENGICON PVT. LTD.
Managing Director

WEB COPY NOT OFFICIAL

या ऋण द्वारा भुगतान होगा, उसे विकासकर्ता भवन निर्माण में खर्च करेगें। जिसके लिए आवश्यकतानुसार किसी भी आवंटियों एवं खरीदार / खरीदारों के पक्ष में बिक्रय एकरारनामा का लिखा पढ़ी करेगें या आवश्यकतानुसार उसे निबंधन कार्यालय में निबंधित करेगें। अतएव विकासकर्त्ता किसी भी हालत में जमीन मालिकगण के मिलने वाले 50 प्रतिशत हिस्से के फ्लैटों एवं कार पार्किंगो के साथ साथ जमीन में अविभाजित अनुपातिक हिस्सा को किन्ही भी आवंटियों एवं खरीदार / खरीदारों के पक्ष में बिक्रय नहीं करेगें।

17. यह कि सभी संबंधित व्यक्ति विशेष जैसे रचनाकार, अभियंता, सर्वेयर, ठीकेदार आदि को नियुक्ति करने का अधिकार विकासकर्त्ता को होगा ।

18. यह कि बहुमंजिला भवन योजना प्रारूप के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए सिमेंट, औजार, ईट, विद्युत कनेक्शन, लोहा इत्यादि की खरीदगी अपने स्तर से विकासकर्त्ता करेगें। अगर सरकार द्वारा उक्त भवन निर्माण सामग्रियों के उपर कोटा का निर्धारण निर्माण कार्य के समय हो जाएगा, तो विकासकर्त्ता सामग्रियों को प्राप्त करने हेतू अपने हस्ताक्षर से संबंधित पदाधिकारियों या उचित कार्यालयों में आवेदन देगें एवं आवेदन के स्वीकृत के अनुसार भवन निर्माण सामग्रियों को प्राप्त करेगें और उसे भवन निर्माण कार्य में लगाएगें।

19. यह कि विकासकर्त्ता / द्वितीय पक्ष अपने 50 प्रतिशत हिस्से का बिक्रय एकरारनामा, निर्विवाद बिक्रय पत्र, आवंटन तथा किरायनामा आदि अभिलेखों के निबंधन हेतु अपने आवंटियों, खरीदार/खरीदारों से वांछित राशि लेकर उक्त अभिलेखों का निष्पादन करेंगे।

20. यह कि जब कभी विकासकर्त्ता को भूखंड स्वामीगण की किसी वसिका पर हस्ताक्षर निष्पादन के समय जरूरत पड़ेगी तब उनको साथ लेकर उनकी सहमति से किसी भी तीसरे पक्ष के साथ खरीद-फरोक्त के

WEB COPY NOT OFFICIAL

...WAD ENGICON PVT. LTD.
Managing

लिए स्वामीगणत्व हस्ताक्षर के मुताबिक हीं आचरण करेंगें। उसी प्रकार जमीन मालिकगण भी अपने हिस्से पर पड़ने वाले फ्लैट या पार्किंग क्षेत्र का पूर्ण स्वामीगण होंगे तथा हस्तानान्तरण के समय अगर आवश्यक हुआ तब विकासकर्त्ता निष्पादन के समय हस्ताक्षर कर देगें।

21. यह कि भूखड से संबंधित मूल दस्तावेज प्रथम पक्ष के पास सुरक्षित रहेगा। द्वितीय पक्ष को कार्यालयों में उपयोग हेतु फोटों प्रति दिया जायेगा। जरूरत पड़ने पर मूल दस्तावेज को प्रथम पक्ष विकासकर्त्ता को कार्यालयों में प्रस्तुत करने हेतु सुपूर्द करेंगे।

22. यह कि प्रस्तावित योजनांक तहत भूखंड पर निर्माण कार्य प्रारूप की स्वीकृति पी.एम.सी. के द्वारा होने के बाद बिहार म्युनिसपिलिटी/म्युनिसिपल एक्ट 2007 के प्रावधानों एवं नियमों के अंतर्गत निर्माण किया जायेगा एवं प्रस्तातिव योजना से ज्यादा एरिया का निर्माण कार्य किया जायेगा तो उसके विरूद्ध दंड राशि विकासकर्त्ता/ द्वितीय पक्ष को वहन करना पड़ेगा। यदि सरकार द्वारा उक्त अपार्टमेंट का जो भी क्षेत्र अधिग्रहित किया जायेगा उसका मुआवजा राशि में से 50 प्रतिशत जमीन मालिकगण और 50 प्रतिशत विकासकर्त्ता/द्वितीय पक्ष का हिस्सा होगा और दोनों पक्ष अपने-अपने स्तर से प्राप्त करेगें।

23. यह कि उभय पक्षों के बीच यह भी सहमति प्रदान की गई है कि निर्मित क्षेत्रों का हस्तानान्तरण क्रेता को सरकारी खर्च, स्टाम्प डूयूटी खर्च एवं निबंधन फीस एवं अन्य तरह का फीस का वहन दोनो पक्षकारों के खरीदार/खरीदारगण अपने स्तर से करेगें।

24. यह कि बहुंजिला भवन में विद्युत कनेक्तशन की जमानत राशि हर फ्लैट में बिजली कनेक्शन हेतू जमा होगा। जेनेरेटर का लाईन आवश्कतानुसार वाट का होगा जिसका कनेक्शन भवन के सभी जगहों पर होगा।

ASHIRWAD ENGICON PVT. LTD.
Managing Director

WEB COPY NOT OFFICIAL

25. यह कि कार्य पूरा होने के बाद विकासकर्त्ता और जमीन मालिकगण एवं भवन के फ्लैटों के सभी सदस्यों एवं व्यक्तियों के द्वारा एक एसोसियएशन बनाया जायेगा। इस बहुमंजिला आवासीय भवन के फ्लैटों में रहने वाले सभी सदस्य इस एसोसियशन के सदस्य होंगे और सभी सदस्य मिलकर अपने स्तर से खर्च वहन कर बहुमंजिला आवासीय भवन के सभी हिस्सों का रख-रखाव, देखभाल, सफाई एवं रंगाई पोताई आनर्स एसोसियएशन के माध्यम से करायेंगे।

26. यह कि बहुमंजिला आवासीय भवन के निर्माण कार्य के दौरान घटना-दुर्घटना या सरकारी विभागों के दण्ड का जवाबदेही विकासकर्त्ता का होगा। जिसकी जवाबदेही जमीन मालिकगण पर नहीं होगी।

27. यह कि विकास कार्य एकरारनामा के अनुसार बहुमंजिला भवन के पार्किंग एरिया में जमीन मालिकगण का 50 प्रतिशत हिस्सेदारी होगा, इसी तरह विकासकर्त्ता का भी पार्किंग एरिया में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी होगा। जिसे जमीन मालिकगण एवं विकासकर्त्ता सतह पर स्थित पार्किंग एरिया में मार्किंग किया जायेगा जिसका जिक्र जमीन मालिकगण और विकासकर्त्ता के बीच हिस्सों के संबंध में किये गये बंटबारा में उल्लेख किया जायेगा।

28. यह कि विकासकर्त्ता को उपरोक्त वर्णित भूमि के अगल वगल के जमीन मालिको द्वारा बहुमंजिला भवन निर्माण करने का प्रस्ताव प्राप्त होता है तो वैसी स्थिति में विकासकर्त्ता अगल वगल के जमीन मालिको से उनकी जमीन को विकास एकरारनामा पर लेकर या खरीद कर उक्त भूमि के साथ मिलाकर बहुमंजिला भवन का निर्माण कई ब्लॉकों में करेगें उसमें जमीन मालिकगण कोई आपत्ति एवं विरोध नहीं होगा ।

29. यह कि कीमत के रुप मे विकासकर्त्ता ये स्वीकार करते हैं कि जमीन मालिकगण को विकास एकरारनामा में वर्णित अनुसार में 50 प्रतिशत फ्लैटों के साथ-साथ कार पार्किंग स्पेशों में 50 प्रतिशत पूर्ण रुप से बने हुए

ASHIRWAD ENGICON PVT. LTD.
Managing Director

WEB COPY NOT OFFICIAL

क्षेत्र में से बिना कोई कीमत लिए जमीन मालिकगण को दे देगें। जिन्हें उपरोक्त वर्णित भूमि पर भवन का निर्माण कर खास दाज और हिस्से में मिलेगा, जिसके जमीन मालिकगण निर्विवाद रूप में पूर्ण स्वामीगण, स्वत्वाधिकारीगण, सर्वाधिकारीगण और दखलकारगण होंगें, जिसे वे जिस प्रकार से चाहें पूर्ण रूप से स्वामीगण के रूप में उपयोग वो उपभोग करेगें और पूर्ण अधिकार एव स्वामित्व से उसे किन्हीं अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों, संस्था, फर्म और अन्य वैगरह को इस विकास एकरारनामा के शर्त्तों के अनुरूप जिस तरह या जिस तरीके से अनिवार्य होगा उसे हस्तानान्तरित करेगें और बकिये 50 प्रतिशत पूर्ण रुप से बना हुआ क्षेत्र विकासकर्त्ता का संयुक्त क्षेत्र कहा जायेगा। इस तरह जमीन मालिकगण और विकासकर्त्ता बिहार अपार्टमेंट ऑनरशीप अधिनियम, 2006 की धारा 5 वैगरह के अन्तर्गत अपने-अपने हिस्सों का पूर्णरूपेन निर्विवाद रूप से स्वामीगण, मालिकगण, अधिकारीगण, स्वत्वाधिकारीगण, सर्वाधिकारीगण और दखलकार होगें। अतएव विकासकर्त्ता अपने 50 प्रतिशत हिस्से के बनावट को जिस किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों और अन्य वैगरह को जिस तरीके से भी चाहें बिक्रय या पट्टा पर तथा किसी अन्य तरह से हस्तानान्तरित करेगें और पूर्ण रूपेन करने का अधिकार प्राप्त होगा।

30. यह कि बहुमंजिला भवन के हर ब्लॉक के सबसे उपरी छत/टॉप फ्लॉर पर गर्मी रोधक निर्माण आर.सी.सी. के बाद चूना सुरकी का 4" मोटा परत चढ़ाया जायेगा।

31. यह कि अपार्टमेंट ऑनरशीप अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत विकासकर्त्ता या उनके खरीदार अपने 50 प्रतिशत बनावट के साथ-साथ उपरोक्त वर्णित भूखण्ड में अनुपातिक भू-भाग के निर्विवाद स्वामीगण पूर्ण रूपेन होंगे इससे जमीन मालिकगण तथा इन सभी के उत्तराधिकारियों को उक्त अधिनियम के आधार पर विरोध, आपत्ति तथा दावा करने का

ASHIRWAD ENGICON PVT. LTD.
Managing Director

WEB COPY NOT OFFICIAL

अधिकार नहीं होगा। इसके लिए जमीन मालिकगण विकासकर्त्ता को स्थाई पावर ऑफ एटर्नी नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसप्रकार विकासकर्त्ता को उपरोक्त भूखंडो पर सभी तरह का कार्य करने या विकास करने नक्शा बनाने भवन निर्माण करने या उसको बेचने का शान्ति पूर्ण अधिकार होगा।

32. यह कि जमीन मालिकगण यह घोषणा करते हैं कि जमीन हर तरह के ऋणभार से मुक्त है। जमीन मालिकगण यह भी आश्वासन दिलाते हैं कि जब तक बहुमंजिला आवासीय भवन पूर्ण रूप से बन नहीं जाता है तब तक यह सम्पत्ति हर तरह के ऋणभार से मुक्त रहेगें।

33. यह कि इस विकास एकरारनामा में लिखी गई शर्तो में किसी तरह का परिवर्तन या संशोधन जमीन मालिकगण एवं विकासकर्तागण की लिखित सहमति से किया जाएगा और दोनो में से कोई भी पक्ष इस विकास एकरारनामा में लिखी गई शर्तो का उल्लधनं नहीं करेगें।

34. यह कि भवन निर्माण के दौरान सभी प्रकार का निर्माण सामग्री, उपकरण, मशीन इत्यादि जो निर्माण कार्य में उपयोंग हेतू लाया जाएगा उसकी सारी जिम्मेदारी विकासकर्त्ता की होगी तथा इन सभी उपकरणों का रख रखाव, चोरी इत्यादिसे बचाव भी विकासकर्त्ता की जिम्मेवारी होगी। किसी भी तरह के नुक्सान के लिए जमीन मालिकगण उत्तरदायी नहीं होगें।

35. यह कि विकासकर्त्ता निर्धारित समय अवधि तक बहुमंजिला भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करेगें तो वैसी स्थिति में विकासकर्त्ता जमीन मालिकगण को उनके हिस्से में मिलने वाले फ्लैटों का किराया प्रति फ्लैट प्रति माह 2,500/- दो हजार पाँच सौ रूपये मात्र निर्माण कार्य पूर्ण होने तक भुगतान करेगें।

36. यह कि क़िसी तरह का विवाद या मतभेद एकरारनामा के अनुसार उत्पन्न होता है तो भूस्वामीगण एवं विकासकर्त्ता के बीच निष्पक्ष एवं स्वतंत्र

ASHIRWAD ENGICON PVT. LTD.
Managing Director

WEB COPY NOT OFFICIAL

पंच की नियुक्ति भारतीय आरबिट्रेशन एक्ट तथा संशोधित नियम के तहत किया जायेगा।

अनुसूचि

भूमि का विवरण जिसपर आवासीय बहुमंजिला भवन का निर्माण के रूप में विकास होगा:-

कुल क्षेत्रफल 66 डिसमिल यानि कि 28744.32 वर्गफीट परती भूमि हकियत कास्त रैयती नगदी कायमी, जो मौजा शेखोपुर उर्फ शेखपुरा, सर्वे थाना फुलवारी और परगना अजीमाबाद, वर्तमान पुलिस थाना - रामकृष्णानगर, जिला पटना में अवस्थित है, जिसका थाना नं0 - 111, तौजी नं0 - 176, खाता नं0 - 146 (एक सौ छियालिस), खेसरा नं0 - 11 (ग्यारह), जो अवर निबंधन कार्यालय फुलवारी, जिला अवर निबंधन कार्यालय और जिला पटना एवं पटना नगर निगम के अन्दर है जिसकी चौहद्दी निम्नलिखित है :-

चौहद्दी

उत्तर :- सर्वे आहर वर्तमान सहायक सड़क।

दक्षिण :- श्री सोना सिंह वगैरह।

पूरब :- सर्वे अंलग वर्तमान 20' फीट चौड़ा सहायक सड़क।

पश्चिम :- हाल खरीदार दीगर।

जमीन का सरकारी कीमत अंकेन् 2,71,92,000/-

अनुसूचि- 2

भवन के तकनीकी विकास का विवरण

1. स्ट्रक्चर : आर0सी0सी0 फ्रेम स्ट्रक्चर/भूकम्प रोधी स्ट्रक्चर।
2. सिविल वर्क : प्रथम श्रेणी का ईंट वर्क प्रिज्म का लफार्ज सिमेंट मोर्टर के साथ। (class A cement grade)
3. छत :आर0सी0सी0।(Steel-ISI Mark.)

ASHIRWAD ENGICON PVT. LTD.
Managing Director

WEB COPY NOT OFFICIAL

4. फर्श : टाईलस/मार्बल/Vitrified(Reported Company)।
5. प्लास्टर : सिमेंट मोर्टार 1:6 सलिंग 1:4
6. दरवाजा : सखुआ लकड़ी का चौखट एवं दरवाजा 30 एम0एम0 (With Paint) मोटा फैक्ट्री से निर्मित प्लस डोर (ISI Mark)।
7. खिड़की : अलुमुनियम का चौखट फ्रेम अलुमुनियम का पल्ला शीशा लगाकर।
8. रसोई घर: (Granit)मार्बल का वर्किंग प्लैट फार्म, Steel जोजाइक सिंक तथा दिवाल में सफेद गलेज्ड टाईल्स और डायनिंग रूम में भी एक वास बेसिन रहेगा।
9. बाथरूम : दिवाल में 7' फीट ग्लेज टाईल्स तथा सतह में मार्बल या इसपटक फ्लोरिंग (Somani Tiles) साथ हीं जल आपूर्त्ति फिटिंग नल फिटिंग (G-IShera), चिनी मिट्टी का सफेद पेरिवेयर, पैन फिटिंग एवं बेसिन।
10. विद्युत वायरिंग : कॉन्सिल पी0 बी0 सी0 कौन्डयूट वायरिंग सहित आई एस आई मार्का का फिटिंग, स्वीच के साथ (Modular Switch)
11. दिवाल फिनिसिंग : अन्दर के प्लास्टर ऑफ पेरिस (Wall Putty)
12. टी0 भी0 प्वाईंट : सभी फ्लैटों में एक प्वाईंट (Mastar Room & Living Room)।
13. सिवेज : सिवेज डिजाईन के अनुसार उपर्युक्त व्यवस्था के साथ।
14. जेनेरेटर : जलापूर्त्ति तथा कॉमन क्षेत्र के साथ पूरे फ्लैट के लिए 300 वाट।
15. सबमरसिवुल पम्प : एक (Each Block Pump)
16. लिफ्ट : एक (आवश्यकतानुसार) (Lift Each Block) Kone Company
17. Intercom Facility
18. चौखट एवं दरवाजा पर with paint.

WEB COPY NOT OFFICIAL

भूखंड स्वामीगण प्रथम पक्ष तथा विकासकर्त्ता/द्वितीय पक्ष उपरोक्त सभी बातों पर सहमत हैं तथा वादा करते हैं कि मिलजुलकर इस कार्य को पूरा करेंगे।

इस वास्ते भूखंड स्वामीगण/प्रथम पक्ष और विकासकर्त्ता/द्वितीय पक्ष ने इस विकास एकरारनामा में लिखि गई बातों एवं शर्त्तों को पढ़कर और पढ़ाकर समझते हुए सोंच विचार कर बिना किन्हीं के दबाव एवं धमकाव तथा किसी तरह की आपत्ति के एक-दूसरे के पक्ष में लिख दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे।

गवाहगण हा हस्ताक्षर

1. Rahul Kumar S/o-Sri B... Singh AT- Dasratha Po- Anishabad, Patna 1/6/15

2. Bablu Kumar S/o Sri Sachidanand Singh Vill - Bhupatipur P.O - Dhelwan P.S - R.K Nagar Dist - Patna 1/06/15

भूखंड स्वामीगण का हस्ताक्षर

अविनाश कुमार, 1-6-15

ASHIRWAD ENGICON PVT. LTD.

Managing Director

विकासकर्त्ता का हस्ताक्षर

टकणकर्त्ता

अमरजीत कुमार
राजेन्द्रपथ, पटना

प्रारूपकर्त्ता

(रामानन्द प्रसाद केशरी), अधिवक्ता
समाहारणालय वार एसोसिएसन, पटना
चैम्बर - राजेन्द्रपथ भट्टाचार्या रोड चौराहा, पटना
मोबाईल नं0 - 09334125743

WEB COPY NOT OFFICIAL

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act **Rs. 543840/-**		Amt.Paid By N.J Stamp Paper	**Rs. 5000/-**
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act **Rs. 0/-**		Amt.paid through Bank Challan	**Rs. 564365/-**

Registration Fee (FEE PAID)

A1	0	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0
A9	0	DD	0	I	5000	K1c	0	Mb	25
A10	0	E	20000	J1	0	K2	0	Na	0
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0		
								TOTAL-	**25025**

LLR + Proc Fee

LLR	0
Proc.Fee	0
Total	0

Service Charge: 500

Total amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 25525

Registering Officer
Patna

Date: 01/06/2015

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Patna on Monday, 01st June 2015 by Shambhu Nath Singh Ramdas Singh by profession Others. Status - Executant

शम्भू नाथ सिंह
१-६-१५

Registering Officer
Patna

Signature/L.T.I. of Presentant **Date:01/06/2015**

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Rahul Kumar' age '37' Sex 'M', 'Bhrigu Nath Singh', resident of 'Vill-Dashratha Phulwari,patna.'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Registering Officer
Patna

Date : 01/06/2015

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Patna in Book 1 Volume No. 118 on pages on 237 -256 , for the year 2015 and stored in CD volume No. CD-18 year 2015 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Registering Officer
Patna

Date : 01/06/2015

Token No. : 5609 Year : 2015 S.No. : 5510 SCORE Ver.3.0 Deed No . : 4910

WEB COPY NOT OFFICIAL

गोपनीय प्रतिवेदन

अंचल पदाधिकारी का कार्यालय 615

(भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र)

नाम श्री शंभू नाथ सिंह पिता – राम ... ग्राम ...

थाना ... जिला ...

ग्राम का नाम एवं थाना संख्या	तौजी संख्या	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा एकड़	रकबा डि०
मौजा – ... थाना नं – 111		142 145		1	48½

आवेदक का हस्ताक्षर शंभू नाथ सिंह

कर्मचारी का प्रतिवेदन

अंचल पदाधिकारी का हस्ताक्षर

कार्यालय का मुहर

Sch. XIV—F. No. 180V.
बि० ग० प्रेस, गया।

रसीद मालगुजारी। फरद मालकी/फरद रैयती।
नाम सर्कल। नाम मौजा मय थाना वो थाना नम्बर। नाम रैयत मय वल्दियत जमाबन्दी वो सकूनत। नम्बर।

सम्पतचक इस्माइलपुर 999 | शम्भुनाथ सिंह 203/9 x/2 6519117

बराजी नगदी — अराजी भावली S/O — तफसील हिसाब लगान भावली।

श्री इन्द्रदेव सिंह, सा: - इस्माइलपुर, जिला - पटना

चौत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

2008-09 मांग बावत	सालाना	बकाया तीन वर्ष से ज्यादा।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।	हाल
माल- (नगदी)	16.00				48.00	16.00
गुजारी (भावली)	4.00				12.00	4.00
सेस	8.00				24.00	8.00
*सूद	8.00				24.00	8.00
मुतफरकात	4.00				12.00	4.00
मीजान	40.00				120.00	40.00

तफसील अदायकारी।

2008-09 अदायकारी बावत।	बकाया तीन वर्ष से ज्यादा।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।	मोतावला हाल।	फाजिल
माल- (नकदी)				48.00	16.00	
गुजारी (भावली)				12.00	4.00	
सेस				24.00	8.00	
*सूद				24.00	8.00	
मुतफरकात				12.00	4.00	
मीजान अदायकारी				120.00	40.00	

160.00 माफ

(१) मीजान कुल (लफ्जों में) — एक सौ साठ रुपया
(२) नाम देहिन्दा [illegible]
(३) कुल बकाया 0

दस्तखत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा।

*खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

भारत 25 PAISE
TWENTY FIVE NAYE PAISE

[Da]te of application for the copy.	Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	Date of delivery of the requisite stamps and folios.	Date on which the copy was ready for delivery.	Date of making over the copy to the applicant.
[illegible]	10/[illegible]	12/2	20/2/71	22.2.71

[illegible]

5 [illegible]/3/1970 The parties have entered into compromise. A petition has been filed on behalf of minor defendants to the effect that the compromise is beneficial to the minors. It appears in fact to be so and permission to accorded to minors to so join the compromise.

Let the compromise be recorded and the suit decreed in terms thereof. The petition of compromise will form part of the final decree, which be prepared on filing of requisite stamps.

Sd/ U.K. Sinha S.J. Patna.

Typed by	Compared by	Read by
Typists.	C. Clerk	C. Clerk

प्रतिलिपि कार्यालय [illegible]

35 PAISE | 35 PAISE | 35 PAISE | 10 PAISE

भारत

TWENTY FIVE NAYE PAISE

Date of application for the copy.	Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	Date of delivery of the requisite stamps and folios.	Date on which the copy was ready for delivery.	Date of making over the copy to the applicant.

ब अदालत सब जज २ बहादुर पटना

टा० पार्टिशन मुकदमा नम्बर १५० सन् १९७० ईस्वी।

मुन्नाथ सिंह ------------------------ मुद्दई

बनाम,

रामदास सिंह वगैरह ------------------ मुद्दालेहम

गरीब परवर सलामत गुजारिश है कि मुकदमें मजकूर वाला दरमेआन मुद्दई वो मुद्दालेहम हस्ब जैल तय वो तसफिया हो गया।

१ ।- यह कि जायदाद मतरूका मुन्दरजे जमीमा नम्बर १ अरजी दावी दरमेआन मुद्दई वो मुद्दालेहम आपस में बंट गया।

२ ।- यह कि बजरिये तसफिया हाजा जायदाद गैरमनकूला बटवारा तलब मुन्दरजे जमीमा नम्बर १ अरजी दावी के मालियत का लेहाज करके हस्बतफसील आपस में बंट गया के जायदाद मुन्दरजे जमीमा नम्बर १ सवाल तसफिया हाजा मुद्दई को मिला, जिसपर उनका खास दखल-कब्जा हुआ और रहेगा, जिससे मुद्दालेहुम को कोई एलाका वो सरोकार नहीं रहा वो न रहेगा।

३ ।- यह कि जायदाद मुन्दरजे जमीमा नम्बर २ सवाल तसफिया हाजा मुद्दालेह नम्बर १ को मिला जिसपर उनका खास दखल कब्जा हुआ और रहेगा, जिससे दीगर मुद्दालेहम वो मुद्दई को कोई एलाका वो सरोकार नहीं रहा वो न रहेगा।

४ ।- यह कि जायदाद मुन्दरजे जमीमा नम्बर ३ सवाल तसफिया हाजा मुद्दालेह नम्बर २ को मिला, जिसपर उनका खास दखल कब्जा हुआ वो रहेगा, जिससे दीगर मुद्दालेहम वो मुद्दई को कोई एलाका वो सरोकार कोई नहीं रहा वो न रहेगा।

५ ।- यह कि जायदाद मुन्दरजे जमीमा नम्बर ४ सवाल तसफिया हाजा मुद्दालेहम नम्बर ३ को मिला, जिसपर उनका खास दखल कब्जा हुआ वो रहेगा, जिससे दीगर मुद्दालेहम वो मुद्दई को कोई

मुदई को कोई एलाका वो सरोकार नहीं रहा वो न रहेगा।

६:- यह कि जायदाद मुंदरजे जमीमा नम्बर ५ सवाल तसफिया हाजा मुदालेहा नम्बर ४ को मिला, जिसपर उनका खास दखल कब्जा हुआ वो रहेगा जिससे दीगर मुदालेहुम वो मुदई को कोई एलाका वो सरोकार नहीं रहा वो न रहेगा।

७:- यह कि जायदाद मुंदरजे जमीमा नम्बर २ अरजी दावी हाजा सकूनती मकान वो सहन वो बरोज़ खारज सहूलियत और सुविधा फरिकैन के दरमेआन फरिकैन इजमाल रखा गया जिस पर फरिकैन वमोजिब अपने अपने हिस्सा के इजमाल काबीज वो दखील रहेंगे, और बनिस्बत व पटवन अराजीआत के दरमेआन फरिकैन यह तय पाया कि जहां जिस तरह से सुविधा जिस फरीक को अपने अराजीआत के पटवन में होगा, वहां से अपने अपने अराजीआत को पटावेंगे, इसमें किसी किसीम का कोई उजर किसी फरीक को नहीं है और न आईंदे होगा। अगर करे तो नमोकाबुले सरायत सवालतसफिया हाजा के के रद्द वो वातिल मुतसौअर होगा और काबिल समायत किसी अदालत के न होगा।

८:- यह कि खर्चा जिसमें फरिकैन तातारीख हमरोजा, जिसमें फरिकैन अपने अपने करार पाया और आइन्दा खर्चा हर फरीक को अपने अपने हिस्सा के मुताबिक देना होगा।

९:- यह कि मुकदमा हाजा को बखूबी फरिकैन ने सवाल तसफिया के मजमून से आगाह होकर और उसके असर से बखूबी वाकिफ होकर वो अपने अपने नफा वो नुकसान को बखूबी समझ बूझ कर तसफिया किया है कि बदीयान एकरार मोतबीर करते हैं तसफिया हाजा के खिलाफ कभी किसी जबान वो जान पर कोई उजुर या एतराज नहीं करेंगे। अगर करे तो वह बिल्कुल नाजायज गैरकानूनी वो व बातिल मोतसौअर होगा और काबिल समायत किसी अदालत के न होगा।

४

खाता	खसरा	ए०	डि०	कैफियत
१४६	९२	१	- ३७ डि०	
	[illegible]	०	- २६।।० डि०	मि० ३ ए० ५८।।० डि० जानिब उत्तर
		१	- ६४।।० डिसमिल	

जमीमा नम्बर २

तफसील जायदाद जो रामदास सिंह मुद्दई नं० १ को मिला।

(क) मवाजी २ एकड़ १६।।। डिसमिल अराजी हकीयत कास्त रैयती कायमी मकवी थाके मौजा दसरथी परगना अजीमाबाद थाना फुलवारी थाना नम्बर ९० जिला पटना।

तौजी	खाता	खसरा	ए०	डि०
४८२	८६	४५५	०	- ०६
४७६	[illegible]	८४	०	- ०७।।०
[illegible]	३५	८६	०	- १७ सतरह डिसमिल
		८७	०	- ०५।।०
४८८	४८	१८५ / २१८	२	- २१।।०
४७७	८५	२६७	०	- ०१।।०
८६५	१११	४५७	०	- २१।।०
८६७	१४८	४५८	०	- [illegible]
सामिलात	१६७	४८	०	- १६।।०

२ - १६।।।० डिसमिल

(ख) मवाजी १ एक एकड़ ६४ डिसमिल अराजी हकीयत कास्त रैयती कायमी वाके मौजा कुर्थौल परगना व थाना फुलवारी थाना नम्बर ११० जिला पटना, तौजी नम्बर ५४८४, खाता नम्बर ५७, एकटि

Land Mortgaged to L.D. Bank Patna Branch
[illegible signature] 26.2.76.
Branch Manager
BIHAR RAJYA SAHKARI BHUMI BIKAS BANK SIMIT, Patna Branch, Patna

[handwritten in left margin: खाता 185, 219, 357 ... LDB Br 24/07/06]

३५ पैसे 35 PAISE 35 PAISE 35 PAISE 10 PAISE

भारत

TWENTY FIVE NAYE PAISE

Date of application for the copy.	Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	Date of delivery of the requisite stamps and folios.	Date on which the copy was ready for delivery.	Date of making over the copy to the applicant.

(प्लॉट नम्बर ७२) रकबा (१ एकड़ ६४ डिसमिल)

(ग) कमामी वो तमामी मवाजी (१ एकड़ ८८ डिसमिल अराजी हकीयत
हकीयत काश्त रैयती कायमी नकदी वाके मौजा सिपारा परगना वो
थाना फुलवारी थाना नम्बर २७ जिला पटना।

तौजी	खाता	खसरा	ए० डि०
५२०५	९६	१८५	० - १८ डिसमिल,
		१८७	० - ३१॥० डिसमिल,
		१८८	० - ३७॥० डिसमिल,
५२०४	९६	६०	० - १३ डिसमिल,
		६२	० - ७८ डिसमिल,
५२०४ / ५२०५	९२	१८८ / ६०८	० - ३० डिसमिल,
			१ - ८८ डिसमिल,

(घ) मवाजी (१०क) एकड़ अराजी हकीयत काश्त रैयती कायमी
वाके मौजा गिधासन उदयपुर विशुनपुर पकरी परगना वो थाना फुलवारी
थाना नम्बर ३ (तौजी नम्बर ५१५४ खाता नम्बर ७) जिला पटना।

खाता	खसरा	ए० डि०
७१	५५१	० - १७॥० मि० १२ ३०॥० के जा० पश्चिम
	५१२	० - ८१॥० डिसमिल,
		१ - ०० एक एकड़।

जमीमा नम्बर ३

तफसील जायदाद जो शम्भु नाथ सिंह मुद्दालेह नम्बर २ को मिला।

(क) मवाजी ३ एकड़ ३१॥० डिसमिल अराजी हकीयत काश्त रैयती
वाके मौजा गिधासन उदयपुर विशुन पुर पकरी परगना वो थाना
फुलवारी थाना नम्बर ३ जिला पटना तौजी नम्बरी

६।

तौजी नम्बर ५१५१ खाता नम्बर ७।।

खसरा	एकड़ डिसमिल
६७८	२ - २६।।० मि० ५ ए २० डि० के जा० उतर वो भी बीच
६४१	० - ११ मि० ८८ डिसमिल के जानिब बीच में
६१२	० - १८ मि० १ ए १४।।० डि० के जानिब दखिन
६५२	० - ३४ मि० १ एकड़ २०।।० डि० के बीच में

२ - ४१।।० डिसमिल,

ख। मवाजी १ एकड़ ६४।।० डिसमिल अराजी हकीयत कास्त रैयती वाके मौजा शेखपुरा परगना अजीमाबाद थाना फुलवारी थाना नम्बर ११ तौजी नम्बर १७६ वगैरा।

खाता	खसरा	ए० डि०
१४५	५	० - ८८ डिसमिल,
१४६	११	० - ६६।।० मि० २ ए ५८।।० डि० के जानिब बीच।

१ - ६४।।० डिसमिल,

जमीमा नम्बर ४

तफसील जायदाद जो हिस्सा मुद्दई नम्बर १ को मिला।

क। मवाजी १ एकड़ ४१।।० डिसमिल अराजी हकीयत कास्त रैयती वाके मौजा मिरजापुर उदयपुर बिशुनपुर परगना वो थाना फुलवारी थाना नम्बर ११ जिला पटना तौजी नम्बर ५१५१ खाता नम्बर ७।

खाता	ए० डिसमिल
६७८	० - ७४।।० मि० ५ ए २० डि० के दखिन वो पछिम
६५१	० - ७८
६७८	० - ७२
६४३	०

TWENTY FIVE NAYE PAISE

Date of application for the copy.	Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	Date of delivery of the requisite stamps and folios.	Date on which the copy was ready for delivery.	Date of making over the copy to the applicant.
31/2	10/2	12/2	21/2/[illegible]	[illegible]

खसरा ए डि०

६४२ ० – ६४ डिसमिल [illegible] दक्षिण उत्तर

[illegible] ० – [illegible] डिसमिल के जानिब बीच

५५२ ० – ६४ [illegible] ०/१० डि० जानिब उत्तर

---

०. – ६४ ।१० डिसमिल तीन एकड़ साढ़े एकतीस डिसमिल,

।सः मवाजी । एकड़ ६४।।० डिसमिल अराजी मलकीयत कारत रैयती

वाकै मौजा [illegible]पुरा परगना अजीमाबाद थाना फुलवारी थाना नम्बर

[illegible] जिला पटना तौजी नम्बर ।०७६ [illegible]

खाता	खसरा	ए०	डि०
१४६	११	१ – ६४।।०	मि० २ ए० ५८।।० डि० के

जानिब दक्खिन ।

जायदाद नम्बर ५

तफसील जायदाद जो श्रीमती सुवराती देवी मुद्दालेह नम्बर ४ को मिला।

मवाजी । एकड़ ५८।।० डिसमिल अराजी मलकीयत कारत रैयती कायमी वाकै मौजा जानपुरा परगना अजीमाबाद थाना फुलवारी थाना नम्बर २४ जिला पटना मु तौजी नम्बर ।२ तौजी ।

खाता	खसरा	ए०	डि०
१६६	१८२	० – २६ डिसमिल	
	२१८	० – ४० डिसमिल	
	२५१	० – ४५ डिसमिल	
	२७६	० – ४७ डिसमिल	
	८२	० – ०।।१० डिसमिल	

---

१ – ५८।।० डिसमिल

८,

हमलोग भुनाथ सिंह [illegible] वो [illegible] सिंह [illegible] नाथ सिंह वो [illegible] [illegible] पैतरान [illegible] सुन्दरावती देवी [illegible] एकरार [illegible] करते है कि [illegible] तकिया [illegible] में हमलोगों के [illegible] मुवर्रिखा [illegible] राजा [illegible] रोज [illegible] [illegible] कुआ [illegible]

[illegible] सिंह [illegible]

[illegible]

[illegible] सिंह [illegible]

सही [illegible] [illegible]

बरली [illegible] भुवनाथ सिंह [illegible] कुमार सिंह [illegible] राम [illegible] सिंह [illegible] श्री रघुवर सिंह [illegible] [illegible] ई०।

सही [illegible]

[illegible]

Sd/ [illegible] plaintiff [illegible]

Sd/ Raghuwar [illegible] defendant [illegible]

दाखिल किया,

[illegible]

सिवी टंकक

[illegible] किया गया

[illegible]

[illegible] - [illegible]
[illegible] - [illegible]
[illegible] - [illegible]
[illegible] - [illegible]

[illegible] —

[illegible] ३ २ [illegible]

[illegible]

[illegible] — ९ [illegible] — ३३

२ [illegible] — ३९

१६ [illegible] — १

१३ [illegible] — ३४

[illegible] — २४

le XLII—High Court No. (J) 9 [Old (M) 164.]

FORM OF ORDER SHEET.

COURT OF Subjudge A Patna

T.S. [illegible] 150 of 1970

Bhrigunath [illegible] — versus Ramdas Singh and others.

Serial no.	Date of order or proceeding.	Order with the signature of the Court	Office action taken with date.
1	2	3	4
9	23-6-60	[illegible Hindi handwriting] ... जाय। [illegible]	Report submitted [illegible] 1/8/70
2	3.8.70	Sheristadar submits his report. The court fees paid is sufficient. Admit. Plaintiff to file requisites for issue of summons and notices to the defendants. Plaintiff is also directed to take proper steps u/o 32 R 3 c.p.c. by 7-8-70. S. J.	25 [illegible] 9/10
3	7.8.70	All the defendants file Vakalatnama. Parties file a joint petition of compromise praying to decree the suit in terms of the compromise. A petition for permission to compromise the suit on behalf of minor defendants also filed. Put up on 10.8.70 for necessary order. In the meantime compromise be checked. S J	From the perusal of the compromise petition and the plaint it does not appear that the properties of Jamunger No. 3 of the plaint have been described. Parties may be asked to [illegible] [illegible] 10/8/70

1

District Judge's Copying Department
Application for Copy ... 5 ... Rs.......
Searching Fee ....
Extra fee for urgency 5 ......
Folios ....
Other items Deny ....
TOTAL ....

INDITIFICATION FEES
Rs .... CLERK

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पटना

24049

Tatt 1887

19-11-16 19-11-16

CERTIFIED TO BE TRUE PHOTO COPY

H.C.C. DISTRICT PATNA (BIHAR)
AUTHORIZED U/S 76 Act-I of 1872

Date of order or proceeding.	Order with the signature of the Court. T.P.S. 150/70	Office action taken
2	3	4
14/8/70	Office report not received. Put up on 22/8/70 for necessary orders. [illegible] S.J.	2/8 compromise petition in order [illegible] 11/8/70
22.8.70	The parties have entered into compromise. A petition has been filed on behalf of minor defendant to the effect that the compromise is beneficial to the minors. It appears in fact to be so and permission is accorded to minor to join the compromise. Let the compromise be recorded and the suit decreed [illegible] of the petition of [illegible] compromise will form part of the said decree, which be prepared [illegible] filing of requisite stamps. [illegible]	S.J.II. Patna D 17525 I.A 112 8/70 10-Sheet Ap - 1 Sheet Apprd 7 " [illegible] Total 17 Sheet D 24849 I.A 112 8/70 17-Sheet

[illegible] 19-11-76 [illegible] 19/11/76

11.11.76 19.11.76 19.11.76 19.11.76 19.11.76 19.11.76

[illegible] PHOTO COPY

[illegible] DISTRICT PATNA (BIHAR)
AUTHORIZED U/S 76 Act-I of 1872

न्यायालय में सबजज २, पटना

टा० पा० मुकदमा नम्बर 150 सन् १९७० ई०

मृगुनाथ सिंह पिता का नाम श्री रामदास सिंह साकिन मौजा दशरथा थाना फुलवारी परगना अजीमाबाद जिला पटना . . मुद्दई

ब ना म

१. श्री रामदास सिंह पिता का नाम स्वर्गीय श्री जुगल सिंह

२. श्री शम्भु नाथ सिंह : पेसरान नाबालिगान श्री रामदास सिंह मुदालेह नम्बर १ बवलायत श्री रामदास सिंह मजकूर पेदर वो खैरखाह.

३. श्री विश्वनाथ सिंह :

४. श्रीमती सुन्दरावती देवी जौजे श्री रामदास सिंह मुदालेह नम्बर १.

साकिनान मौजा दशरथा परगना अजीमाबाद थाना फुलवारी जिला पटना . . मुदालेहम

मुद्दई मजकूर [illegible] निम्नलिखित निवेदन करते हैं :-

१. यह कि मुद्दई वो मुदालेहम नम्बर २ वो नम्बर ३ पेसरान मुदालेह नम्बर १ के हैं वो मुदालेहा नम्बर ४ धर्मपत्नी मुदालेह नम्बर १ वो मादर हकीकी मुद्दई वो मुदालेहम नम्बर २ वो नम्बर ३ के हैं ।

२. यह कि मुद्दई वो मुदालेहम मेम्बरान खानदान इजमाल ताबे शास्त्र मिताक्षरा के हैं वो मुदालेह नम्बर १ अफसर वो करता खानदान इजमाल अपने के हैं ।

३. यह कि जायदाद मुन्दरजे जमीमा नम्बर १ ता नम्बर ३ अरजी दावी हाज़ा मुद्दई वो मुदालेहुम के इजमाल खानदान का है जिसपर मुद्दई वो मुदालेहुम इजमालन दखील वो काबिज हैं जिसमें हिस्सा मुद्दई का मवाजी २० पैसा मिनजुमले जायदाद बटवारा तलब में है वो बकिये ८० पैसा हिस्सा मुदालेहुम का है ।

४. यह कि इन दिनों बदइन्तजामी फरिकैन नाइत्तफाकी चल रही है, जिसके वजह से इन्तजाम में खानदान इजमाल के जायदाद के दिक्कत वो त्रुटि हो रही है जिसके वजह से नुकसानी अजीम हो रही है ।

५. यह कि प्रार्थी चन्द बार आपस में जायदाद खानदान इजमाल को आपस में बाई मिट्स ऐन्ड बाउन्ड्स बाँट लेने को कहा, मगर वे लोग बराबर टाल मटाल करते गये आखरश वे लोग आपस में बाँटने से इनकार कर दिया इसलिये हाजत नालिश हाज़ा की हुई ।

६. यह कि तारीख जहुरबुनायदावी बतारीख १०- ७- ७० बरोज आखरी तलब वो इनकार बनिस्बत बटवारा जायदाद खानदान इजमाल वमुकाम मौजा दशरथा परगना अजीमाबाद थाना फुलवारी जिला पटना अन्दर हद समायत अदालत हाज़ा के पैदा हुआ ।

७. यह कि मालियत मुकदमा हाज़ा मुबलिग २५००० रुपया कायम किया जाता है लेकिन चूंकि मुकदमा हाज़ा सिम्पुल बटवारा का है इसलिये मुकररा कोर्टफिस मुबलिग २२ रुपया ५० पैसा अदाय किया जाता है।

मुद्दई मुस्तदई अमुरात जैल का है ।

3

१. यह कि हुजूर प्रिलिमिनरी डिगरी मुद्दई का हिस्सा मबाजी २० पैसा का एक तरफा एलहदा बो जुदागाना मिनजुमले जायदाद बटवारा तलब के बतैनाती हवें पाह वकील कमिश्नर कायम करा दिया जाय।

२. यह कि खर्चा मुकदमा हाजा मय सूद तारोज वसूल वहक मुद्दई सादिर फरमाया जाय।

३. यह कि दीगर जिस जिस दादरसी के मुद्दई मुस्तहक निज्द अदालत हो, वहक मुद्दई सादिर फरमाया जाय।

जमीमा नम्बर १

तफसील-जायदाद बटवारा तलब हजमाल खानदान

नाम मौजा वकैद परगना वो थाना वो जिला	तौजी	खाता	खसरा	ए.	डि.
मौजा मिल्लाहन उदयपुर बिशुनपुर पकरी परगना वो थाना फुलवारी जिला पटना थाना न० ३१.	५१५३	७१	५१२	०-	८१।।
			५५२	१-	२०।।
			६१२	१-	१६।।
			६४३	०-	३३
			६५३	०-	७३
			६७८	०-	७२
			६७३	५-	२०
			६६१	०-	०६

व्यवहार न्यायालय

५

नाम मौजा वकैद परगना वो थाना वो जिला	तौजी.	खाता.	खसरा	ए०-डि०
मौजा शेखपुरा थाना फुलवारी परगना अजीमाबाद थाना न० १११ जिला पटना	१७६ लाखराज	१४६	११	२- ५८।।०
			२२	१- ३७
		१४५	५	०- ६८
मौजा कुरथौल थाना वो परगना फुलवारी थाना नम्बर ११० जिला पटना.	५१८४	६७	७३३	१- ६४
मौजा जगनपुरा थाना फुलवारी परगना अजीमाबाद थाना न० २६ जिला पटना.	१३१	१३३	१६२	०- २६
			२१६	०- ४७
			२५१	०- ४५
			२७६	०- ४७
			८२	०- ०१।।०
मौजा दशरथा थाना फुलवारी परगना अजीमाबाद थाना नम्बर ३० जिला पटना.	४८२	६६	३५५	०- ०६
	४७६	३३	६४	०- ०७।।०
		३५	८६	०- १७
			८७	०- ०५।।०
	[illegible]			
	४७८	६८	१८५ : २१६ :	२- २१।।०
	४७७	४५	२६७	०- ०९।।०
	८६५	१११	३५७	०- ३१।।०
	८६७	१४९	३५८	०- १३
	सामिलात	१५७	१८	०- १३।०

सिविल व्यवहार न्यायालय 23 JUL 1970 पटना

5

नाम मौजा मय कैद परगना वो थाना वो जिला	तौजी.	खाता.	खसरा	ए०- डि०
मौजा धिपारा थाना फुलवारी परगना फुलवारी थाना न० २७ जिला पटना.	५२०५.	६१	१८५	०- १८
			१८७	०- ३१।१०
			१८८	०- ३७।१०
	५२०४	५६	६०	०- १३
			६२	०- ७६
	५२०४ / ५२०५	६२	१८६ / ६०८	०- २०

व्यवहार न्यायालय
23 JUL 1970

जमीमा नम्बर २

तफसील मकानात वो खन्ड वो सहन

सोलह आना किता मकान बनानी पोख्ता लखेरे पोश मय कुल लवाजमात मोतल्लिक मकान मजकूर वाके मौजा दशरथा परगना अजीमाबाद थाना फुलवारी थाना नम्बर ३० जिला पटना वो उपर मवाजी १० डिसमिल अन्दर प्लौट नम्बर १४७ खाता नम्बर १५२ तौजी सामिलात पर मौजूद है।

सोलह आना किता बैठका मय खन्ड वो सहन वाके मौजा दशरथा परगना अजीमाबाद थाना फुलवारी थाना नम्बर ३० जिला पटना वो उपर मवाजी ६।।० डिसमिल अन्दर प्लौट नम्बर ३५४ खाता नम्बर ६७ तौजी नम्बर ४८२ वो मवाजी ३।।० डिसमिल अन्दर प्लौट नम्बर ६५ खाता नम्बर ३३ तौजी नम्बर ४७६ ददoदवेवूदoदेoद जुमला ०० मवाजी १० डिसमिल पर मौजूद है मय कुल लवाजमात मुत्तल्लिक बैठक वो खन्ड मजकूर ।

6

जमीमा नम्बर ३

चल- सम्पत्ति बटवारा तलब

बैल	३
भैंस मय बच्चा	१
हल	१
पालो	१
खीपा	४
लोटा	४
हेंगा	१
करिंग	१

न्यायालय
1970

6/

मैं मृगुनाथ सिंह एकरार सालेह करता हूँ कि मजमून अरजीदावी हाजा का इल्म में हमारे सही वो सच है आज तारीख २३।७।७० रोज बृहस्पतिवार समय ११ बजेदिन बमुकाम अदालत कचहरी पटना ।

सही मृगुनाथ सिंह जा॰ खास

23.7.70

निवेदक मृगुनाथ सिंह मुद्दई माफित श्री अभय कुमार सिन्हा एडभोकेट

तारीख २३।७।७०

सही मृगुनाथ सिंह जा॰ खास

टंकक

COURT FEE INDIA THREE RUPEES 3 Rs.

COURT FEE INDIA TWENTY NAYE PAISE 20 n.P.

:७:

3-20

23 JUL 1970

आ फि डि वि ट

मैं भृगुनाथ सिंह पिता का नाम श्री रामदास सिंह साकिन मौजा दसरथा थाना फुलवारी परगना अजीमाबाद जिला पटना का हूं जो एकरार हस्व जैल अमुरात का करता हूं ।

१. यह कि मैं मुद्दई मुकदमा हाजा का हूं जो मुकदमा हाजा के हालात से बखूबी वाकफियत रखता हूं ।

२. यह कि मजमून अरजीदावी जो इस आफिडिविट के साथ है हल्फ में हमारे सही वो सच है ।

मैं भृगुनाथ सिंह एकरार सालेह करता हूं कि मजमून आफिडिविट के हाजा का हल्फ में हमारे सही वो सच है आज तारीख २३।७।७० रोज बृहस्पतिवार समय ११ बजे दिन बमुकाम अदालत कचहरी पटना ।

सही - भृगुनाथ सिंह बा० खास

I know the deponent.
Baij Nath Prasad clerk to Sri
Bishwa Mohan Kumar Advocate
Dated 23/7/70

टंकक

...y affirmed before me by ...
...plagant ...
...identified by ...
...davit was read & explai...
...admitted ...
...perfectly ...

TRUE PHO...

11.11.16 19.11.16 19.11.16 19.11.16 19.11.16

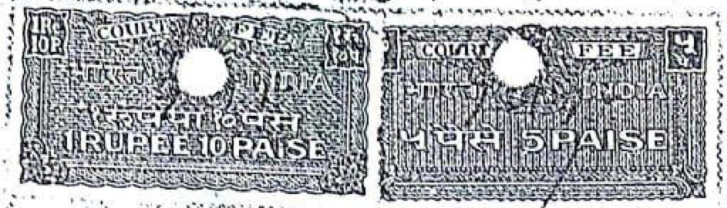

बअदालत सबजज २ बहादुर पटना

टा० पार्टिशन मुकदमा नम्बर १५० सन् १९७० ई०

मुगुनाथ सिंह . . . मुद्दई

बनाम

रामदास सिंह वगैरह— . . मुद्दालेहुम

गरीब परवर सलामत गुजारिश है कि बमुकद्दमें मजकूरे बाला बदरमेआन मुद्दई वो मुद्दालेहुम हस्ब जैल तय वो तसफिया हो गया ।

१. यह कि जायदाद मनकूला मुन्दरजे जमीमा नम्बर ३ अरजी दावी बदरमेआन मुद्दई वो मुद्दालेहुम आपस में बंट गया ।

२. यह कि बजरिये तसफिया हाजा जायदाद गैरमनकूला बटवारा तलब मुन्दरजे जमीमा नम्बर १ अरजीदावी के मालियत का लेहाज करके बईतफसील आपस में बंट गया के जायदाद मुन्दरजे जमीमा नम्बर १ सवाल तसफिया हाजा मुद्दई को मिला, जिसपर उनका खास दखल-कब्जा हुआ और रहेगा , जिससे मुद्दालेहुम को कोई एलाका वो सरोकार नहीं रहा वो न रहेगा ।

३. यह कि जायदाद मुन्दरजे जमीमा नम्बर२ सवाल तसफिया हाजा मुद्दालेह नम्बर १ को मिला जिसपर उनका खास दखल कब्जा हुआ और रहेगा , जिससे दीगर मुद्दालेहुम वो मुद्दई को कोई एलाका वो सरोकार नहीं रहा वो न रहेगा ।

४. यह कि जायदाद मुन्दरजे जमीमा नम्बर ३ सवाल तसफि

हाज़ा मुदालेह नम्बर २ को मिला, जिसपर उनका खास दखल कवजा हुआ वो रहेगा, जिससे दीगर मुदालेहुम वो मुद्दई को कोई ख्लाका वो सरोकार नहीं रहा वो न रहेगा ।

५. यह कि जायदाद मुन्दरजे ज़मीमा नम्बर ४ बवाल तसफिया हाज़ा मुदालेह नम्बर-३ को मिला, जिसपर उनका खास दखल कवजा हुआ वो रहेगा, जिससे दीगर मुदालेहुम वो मुद्दई को कोई ख्लाका वो सरोकार नहीं रहा वो न रहेगा ।

६. यह कि जायदाद मुन्दरजे ज़मीमा नम्बर ५ बवाल तसफिया हाज़ा मुदालेह नम्बर ४ को मिला, जिसपर उनका खास दखल कवजा हुआ वो रहेगा जिससे दीगर मुदालेहुम वो मुद्दई को कोई ख्लाका वो सरोकार नहीं रहा वो न रहेगा ।

७. यह कि जायदाद मुन्दरजे ज़मीमा नम्बर ६ अराजीदाखी हाज़ा मुतनती मकान वो सहन वो सन्ड वगैरह सहूलियत और सुविधा फरिकैन के दरमियान फरिकैन इस्माल रखा गया ~~है~~ जिस पर फरिकैन बमोजीब अपने अपने हिस्सा के इस्तमालन काबीज वो दखील रहेंगे, और बनिस्बत पटवन अराजीआत के दरमियान फरिकैन यह तय पाया कि जहां जिस तरह से सुविधा जिस फरीक को अपने अराजीआत के पटवन में होगा, वहां से अपने अपने अराजीआत को पटावेंगे, इसमें किसी किसीम का कोई उज़र किसी फरीक को नहीं है और न आइन्दे होगा । अगर करें तो सहूलेकाबले सरायत सवाल तसफिया हाज़ा के रद वो बातिल मुतसौव्वर होगा और क़ाबिल

समायत किसी अदालत के न होगा ।

८. यह कि खर्चा जिम्मे फारिकैन तातारीख हमरोजा , जिम्मे फारिकैन अपने अपने करार पाया और आइन्दा खर्चा हर फरीक को अपने अपने हिस्सा के मुताबिक देना होगा ।

६. यह कि मुकदमा हाजा को फारिकैन ने सवाल तसफिया के मजमून से आगाह होकर और उसके असर से बखूबी वाकिफ होकर वो अपने अपने नफा वो नुकसान को बखूबी समझ बूझ कर तसफिया किया है फिदवीयान स्करार मोतबीर करते हैं तसफिया हाजा के खिलाफ कभी किसी उनवान वो वेआन पर कोई उजूर या एतराज नहीं करेंगे । अगर करें तो वह एकदम नाजायज गैरकानूनी वो बातिल मोतसौअर होगा और काबिल समायत किसी अदालत के न होगा । वो बमंजूरी सरायत सवाल तसफिया हाजा फारिकैन अपना अपना दस्तखत खुद वो बशनाख्तन किया है और अपने अपने वकालाय से भी दस्तखत कराया है।

हस्व हालात बदर फिदवीयान उम्मीदवार है कि तसफिया हाजा मंजूर किया जाय और इसको रेकर्ड कर दिया जाय और बमोजीब इसके मुकदमा हाजा फैसल किया जाय और डिगरी दिया जाय और सवाल तसफिया बजीनसहु मुन्दर्ज डिगरी कर दिया जाय के एकरसी हो।

जमीमा नम्बर १

तफसील जायदाद जो भुगुनाथ सिंह मुद्दई को मिला ।

:क: मघाजी ३ तीन एकड़ ३१।।० साढ़े एकतीस डिसमिल अराजी एकीयत कास्त रैयती वाके मौजा गियाशन बिशुनपुर उदयपुर पकरी परगना बो थाना फुलवारी थाना नम्बर ३१ जिला पटना मुन्तकले नम्बर ५१५३ तौजी अन्दर खाता नम्बर ७१ ।

प्लौट न०	ए० डि०	जानिब
६७६	२– १६	मि० ५ ए.२० डि० के जानिब पूरब
६६१	०– ०६	
६४३	०– ३३	मि० ६६ डि० के जानिब दखिन
६१२	०– ३६।।०	मि० १ एकड़ १६।।० डि० के जानिब उत्तर
५५२	०– ३४	मि० १ ए.२०।।० डि. के जानिब दखिन
	३– ३१।।० डि०	

:ख: मघाजी १ एकड़ ६४।। ० डिसमिल अराजी एकीयत कास्त रैयती वाके मौजा शेखपुरा परगना अजीमाबाद थाना फुलवारी थाना न० १११ तौजी नम्बर १७६ लाखराज जिला पटना ।

खाता	खसरा	ए. डि.	कैफियत
१४६	२२	१– ३७ डि.	
	११	०– २७।।० डि.	मि० २ ए.५८।।० डि. जा० उत्तर
		१– ६४।।० डिसमिल	

:6 :५:

12

जमीमा नम्बर २

तफसील जायदाद जो रामदास सिंह मुद्दालेह न० १ को मिला

:क: मवाजी ३ एकड़ १६।।।डिसमिल अराजी हकीयत कास्त रैयती कायमी नकदी वाके मौजा दसरथा परगना अजीमाबाद थाना फुलवारी थाना नम्बर ३० जिला पटना ।

तौजी.	खाता.	खसरा	ए. हि.
४८२	६६	३५५	०– ०६
४७६	३३	६४	०– ०७।।०
	३५	८६	०– १७ सतरह डिसमिल
		८७	०– ०५।।०
४७८	६८	१८५ २१६	२– २१।।०
४७७	४५	२६७	०– ०१।।०
८६५	१११	३५७	०– ३१।।०
८६७	१४६	३५८	०– १३
सामिलात	१५७	१८	०– १३।०
			३– १६।।।० हि.

:ख: मवाजी१एक एकड़ ६४ डिसमिल अराजी हकीयत कास्त रैयती कायमी वाके मौजा कुरथौल परगना वो थाना फुलवारी थाना नम्बर ११० जिला पटना, तौजी नम्बर ५१८४, खाता नम्बर ६७, प्लौट नम्बर ७३३ रकबा १ एकड़ ६४ डिसमिल ।।

:ग: हमनी के तमामी मघानी १ एकड़ ६६ हिसमित अराजी हकीयत काश्त रैयती कायमी नकदी वाके मौजा शिपारा परगना वो थाना फुलवारी थाना नम्बर २७ जिला पटना ।

तौजी.	खाता.	खसरा	ए०	हि०
५२०५	६१	क १८५.	०– १८	
		१८७	०– ३१।।०	
		१८८	०– ३७।।०	
५२०४	५६	६०	०– १३	
		६२	०– ७६	
५२०४/५२०५	६२	१८८/६०८	०– २०	

१– ६६ हिसमित.

:घ: मघानी १ : एक : एकड़ अराजी हकीयत काश्त रैयती कायमी वाके मौजा मिआवन उदयपुर बिशुनपुर पकरी परगना वो थाना फुलवारी थाना नम्बर ३१ तौजी नम्बर ५१५३ खाता नम्बर ७१ . जिला पटना ।

खाता.	खसरा	ए० हि.
७१	५५२	०– १८।।० मि० १ ए. २०।।० के जा० पश्चिम.
	५१२	०– ८१।।०

१– ०० : एक एकड़ :

14

जमीमा नम्बर ३

तफसील जायदाद जो शम्भु नाथ सिंह मुदालेह न० २ को मिला

:क: मवाजी ३ एकड़ ३१।।० डिसमिल अराजी छकीयत कास्त रैयती वाके मौजा गियासन उदयपुर बिशुनपुर परकी परगनों वो थाना फुलवारी थाना नम्बर ३१ जिला पटना तौजी नम्बर ५१५३ खाता नम्बर ७९ ।

खसरा	ए. हि.	
६७६	२– २६।।०	मि० ५ ए. २० डि० के जा० उत्तर वो मी बीच
६४३	०– ३३	मि० ६६ डि० के जा० बीच में
६१२	०– ३८	मि० १ ए.१६।।० डि. के जानिब दखिन
५५२	०– ३४	मि० १ एकड़ २०।।० डि० के बीच में
	३– ३१।।० डिसमिल.	

:ख: मवाजी १ एकड़ ६४।।० डिसमिल अराजी छकीयत कास्त रैयती वाके मौजा शेखपुरा परगना अजीमाबाद थाना फुलवारी थाना नम्बर १११ तौजी नम्बर १७६ लाखराज ।

खाता.	खसरा	ए. हि.	
१४५	५	०– ६८	
१४६	११	०– ६६।।०	मि० २ ए. ५८।।० हि. के जा० बीच.
		१– ६४।।० डिसमिल.	

:८:

15

जमीमा नम्बर ४

तफसील जायदाद जो विश्वनाथ सिंह मुदालेह नम्बर ३ को मिला

:क: मवाजी ३ एकड़ ३१।।० डिसमिल अराजी हकीयत कास्त रैयती वाके मौजा सिंहासन उदयपुर विशुनपुर पकड़ी परगना वो थाना फुलवारी थाना न० ३१ जिला पटना तौजी न० ५१५३ खाता न० ७९ ।

खसरा	ए. डि.	
६७६	०– ७४।।०	मि० ५ ए. २० डि० के दखिन वो पच्छिम
६५३	०– ७६	
६७८	०– ७२	
६४३	०– ३३	मि० ६६ डि० के जा० उतर
६१२	०– ३६	मि० १ ए. १६।।० डि० के जा० बीच.
५५२	० ३४	मि० १ ए. २०।।० के जा० उतर

३– ३१।।० डिसमिल : तीन एकड़ साढ़े एकतीस डिसमिल:

:ख: मवाजी १ एकड़ ६४।।० डिसमिल अराजी हकीयत कास्त रैयती वाके मौजा शेखपुरा परगना अजीमाबाद थाना फुलवारी थाना नम्बर १११ जिला पटना तौजी नम्बर १७६ लाखराज.

खाता.	खसरा	ए. डि.	
१४६	११	१– ६४।।०	मि० २ ए. ५८।।० डि. के जा० दखिन

जमीमा नम्बर ५

तफसील जायदाद जो श्रीमती वृन्दावती देवी मुदालेह न० ४ को मिला

:६:

मवाजी १ एकड़ ५६।।० डिसमिल अराजी हकीयत कास्त रैयती कायमी वाके मौजा जगनपुरा परगना अजीमाबाद थाना फुलवारी थाना न० २६ जिला पटना मुन्तकमा नम्बर १३१ तौजी ।

खाता	खसरा	ए. डि.
१३३	१६२	०- २६
	२१६	०- ४०
	२५१	०- ४५
	२७६	०- ४७
	८२	०- ०१।।०
		१- ५६।।० डिसमिल

हमलोग मृगुनाथ सिंह मुद्दई वो रामदास सिंह खुद वो वली शम्भु नाथ सिंह वो विश्वनाथ सिंह नाबालिगान पेसरान अपने वो श्रीमती सुन्दरावती देवी मुदालेहुम एकरार सा[illegible] करते हैं कि मजमून सवाल तसफिया हाजा का इल्म में हमलोगों के सही वो सत्य है वो सरायत मुन्दरजे सवाल तसफिया हाजा कबूल वो मंजूर है तारीख ७-८- ७० रोज शुक्रवार समय ८ बजे सुबह बमुकाम कदमकुआँ पटना ३.

सही मृगुनाथसिंह दा०-खास

[illegible]

7.8.70

सही राम दास सिंह वली [illegible] शम्भु नाथ [illegible]

Adv. case [illegible] Default

1/8/70

सही श्रीमती सुन्दरावती देवी दा: खास

अरजी फिदवीयान मृगुनाथ सिंह मुद्दई मार्फत श्री अभय कुमार सिन्हा एडभोकेट वो रामदास सिंहवगैरह मुदालेहुम मार्फत श्री रघुवर सिंह एडभोकेट तारीख ७।८।७०

टंकक